8/6/16

पत्रावली आज लोक अदालत न्यायालय
वाद 2016 ग्राम काशीपुरा में पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। -
नामान्तरण सं. 250 निर्णय दिनांक 20.8.2009
जो अंश अधिकृत घोषित नहीं होने के कारण निरस्त
कर दिया गया का अवलोकन किया गया। दरख्वास्त
③ हरीचरण ने नक्शानवीस को तलब करके
का अवलोकन किया गया। नक्शानवीस
द्वारा मौके पर पुराना पेश किया का अव-
लोकन किया गया। ग्रामवासियों के लेखी बयान
रामसिंह, किशोरा एवं रोकाराम के बयान लिये
गये। सरपंच काशीपुरा ने अपने लेटरपैड पर
लिखकर दिया एवं दफा पटवारी काशीपुरा
के लिखित कथन का अवलोकन किया गया।
उभय पक्ष के अवलोकन से स्पष्ट होता है
कि दरख्वास्त ③ हरीचरण ने नक्शानवीस के
मुताबिक किसी अन्य को वसीयत एवं मौखिक नहीं किया है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि
दरख्वास्त ③ हरीचरण पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण
नि. निरखिड़ा के हिस्से के ख.नं. 95, 538, 547,
577, 625, 495 एवं 543 ग्राम निरखिड़ा
में दरख्वास्त ③ हरीचरण का हिस्सा नक्शानवीस
पुत्र बाबूलाल ब्राह्मण नि. निरखिड़ा के नाम
नामान्तरण करके खाते शेष यथावत रहेगा।
तहसीलदार कार्यालय को पत्र जारी हो।
पत्रावली

मालतादेवी
132
8/6/16